By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-2

Topic-Problems of Nation-Building

Class-12th

Date-21-01-2022

राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएँ :—

रियासतों के मुद्दे (Princely States issues):-

स्वतंत्रता से पहले भारत दो भागों में बँटा था - ब्रिटिश भारत तथा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत प्रांतों में विभक्त था, हर प्रांत जिलों में बँटा था। प्रांत का अध्यक्ष था जो भारत के गवर्नर-जनरल के अधीन था। रियासतें, जिनका प्रशासन राजा के हाथों में था। इन रियासतों की कुल संख्या 562 थी जिनमें कुछ बहुत बड़ी रियासतें थीं, जैसे - हैदराबाद, मैसूर व कश्मीर। मध्यम-स्तर की रियासतें थी - ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल,

बड़ौदा आदि तथा कुछ छोटी रियासतें भी थी जैसे-रामपुर, टेहरी, टोंक, बारां आदि।

बड़ी व मध्यम स्तरीय रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी रहता था जिसे राजनीतिक अधिकर्ता या स्थानीय आयुक्त कहते थे जो राजा या नवाब की गतिविधियों पर दृष्टि रखता था तथा वह भारत के गवर्नर-जनरल के अधीन था। गवर्नर-जनरल के अधीन गृह विभाग ब्रिटिश भारत को देखता था, राजनीतिक विभाग का सरोकार देशी रियासतों से था। सभी रियासतों के स्थानीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार से वफादारी की संधि की थी जिसके अंतर्गत उनके संरक्षण का दायित्व ब्रिटिश ताज पर था। इसी को ब्रिटिश संरक्षण (British Paramountcy) कहा जाता था।

लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया, जिन्हें निम्न चार वर्गों में रखा गया —

1. 216 रियासतें जिनकी जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, भारत के उन प्रांतों में मिला दी गयीं जिन्हें 'ए' वर्ग का राज्य कहा गया।

2. 275 रियासतें जिनकी जनसंख्या लगभग 3½ करोड़ थी, उन्हें मिलाकर नये राज्य बनाए गए जिन्हें 'बी' वर्ग का राज्य कहा गया। बड़ी बड़ी रियासतों को इसी वर्ग में रखा गया।

3. 61 रियासतें जिनकी जनसंख्या लगभग 70 लाख थी, उन्हें 'सी' वर्ग के राज्य कहा गया तथा उन्हें केन्द्र के अधीन प्रशासित क्षेत्र कहा जाना या नाम दिया गया।

4. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह को 'डी' वर्ग की इकाई कहा गया।

भारत व पाकिस्तान के विभाजन की स्थिति में इन रियासतों को स्वतंत्र निर्णय करने को कहा गया परन्तु अनेक कारणों से कुछ विवाद उत्पन्न हो गया, कुछ विवाद तो सुलझा लिया गया लेकिन कुछ विवाद अब भी बना हुआ है। (CHAPTER CONTINUES...)